No. 23(2)/E.Coord/2009
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
****

North Block, New Delhi
Dated 3rd November, 2011

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Assignment of Administrative Function to Financial Advisers and the officers working in IFD-reg.

Reference is invited to Para 8 of the "Redefined Charter for Financial Advisers" which states that "FAs would in no case be assigned any routine administrative functions of the Ministry" and to instructions issued by this Department vide O.M. No. 23(2)/E.Coord/2009 dated 19th May, 2009. Instances have come to notice that in many Ministries/Departments, the officers posted in IFD have been assigned additional administrative or executives responsibilities in that Ministry/Department.

2. In order to ensure independent examination of proposals involving financial implications and to avoid any conflict of interest, all Ministries/Departments are advised that officers posted in the IFD may not be assigned any other administrative/executive responsibilities.

3. This issues with the approval of Secretary (Expenditure).

Madhulika Prasad

(Madhulika P. Sukul)
Joint Secretary (Pers.)
Tel. 2309 3283

1. All Secretaries to the Government of India
2. All Financial Advisers

सं. 23(2)/ई कॉर्ड/2009

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक 3 नवंबर, 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय: वित्त सलाहकारों और आंतरिक वित्त प्रभाग में कार्यरत अधिकारियों को प्रशासनिक कार्य सौंपे जाने के संबंध में।

'वित्त सलाहकारों के लिए पुन: परिभाषित चार्टर' के पैरा 8 जिसमें यह उल्लेख है कि 'वित्त सलाहकारों को किसी भी स्थिति में मंत्रालय का कोई नेमी प्रशासनिक कार्य नहीं सौंपा जाएगा' तथा इस विभाग द्वारा 19 मई, 2009 को कार्यालय ज्ञापन सं. 23(2)/ई कॉर्ड/2009 के तहत जारी किए गए निर्देशों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। ऐसा देखने में आया है कि अनेक मंत्रालय और विभागों में आंतरिक वित्त प्रभाग में तैनात अधिकारियों को उस मंत्रालय/विभाग में अतिरिक्त प्रशासनिक अथवा कार्यपालक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

2. वित्तीय निहितार्थ से संबंधित प्रस्तावों की स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने तथा हितों के किसी टकराव से बचने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों को परामर्श दिया जाता है कि आंतरिक वित्त प्रभाग में तैनात अधिकारियों को कोई अन्य प्रशासनिक/कार्यपालक जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएं।

3. इसे सचिव (व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

मधुलिका प्र.सु.

(मधुलिका पी. सुकुल)

संयुक्त सचिव (कार्मिक)

फोन: 23093283

1. भारत सरकार के सभी सचिव।
2. सभी वित्त सलाहकार।